राजस्थान राज-पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
आश्विन 1, मंगलवार, शाके 1930-सितम्बर 23, 2008	
Asvina 1, Tuesday, Saka 1930-September 23, 2008	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकर तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-1) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 17, 2008

जी. एस. आर. 116:-दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम सं. 16) की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

अध्याय-1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-(1) इन नियमों का नाम राजस्थान राज्य दंत चिकित्सा परिषद् नियम, 2008 है।

(2) ये राज-पत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषा.-जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन नियमों में,-

(क) 'अधिनियम' से दंत चिकित्सा अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम सं. 16) अभिप्रेत है;

(ख) 'परिषद्' से धारा 21 के अधीन गठित राजस्थान राज्य दंत चिकित्सा परिषद् अभिप्रेत है;

(ग) 'कार्यकारी समिति' से धारा 29 की उप-धारा (1) के अधीन गठित कार्यकारी समिति अभिप्रेत है;

(घ) 'प्ररूप' से इन नियमों से संलग्न कोई प्ररूप अभिप्रेत है;

(ङ) 'सरकार' से राजस्थान सरकार अभिप्रेत है;

(च) 'सभापति' से धारा 25 की उप-धारा (1) के अधीन निर्वाचित सभापति अभिप्रेत है;

(छ) 'रजिस्टर' से अधिनियम के अधीन तैयार किया गया और अनुरक्षित दंत चिकित्सकों, दंत चिकित्सा स्वास्थ्य विज्ञानियों और दंत चिकित्सा मैकेनिकों का रजिस्टर अभिप्रेत है;

(ज) 'रजिस्ट्रार' से अधिनियम की धारा 28 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रार अभिप्रेत है;

(झ) 'धारा' से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

3. **परिषद् की संरचना.**-राज्य के लिए परिषद् की संरचना अधिनियम की धारा 21 के अनुसार होगी।

4. **परिषद् का कार्यालय.**-परिषद् का कार्यालय जयपुर में स्थित होगा।

अध्याय-2

सदस्यों का निर्वाचन

5. **विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाचक मण्डल.**-(1) अधिनियम की धारा 21 के खण्ड (क) के अधीन निर्वाचनों के प्रयोजन के लिए, अपील प्राधिकारी के विनिश्चय द्वारा यथा-संशोधित और उस दिन, जो नियम 7 के खण्ड (क) के अधीन नियत तारीख से 30 दिन पूर्व होगा, यथा-विद्यमान अधिनियम की धारा 31 के अधीन तैयार किया गया दन्त-चिकित्सकों के रजिस्टर का भाग-क, निर्वाचक नामावली का गठन करेगा।

(2) अधिनियम की धारा 21 के खण्ड (ख) के अधीन निर्वाचनों के प्रयोजन के लिए, अपील प्राधिकारी के विनिश्चय द्वारा यथा- संशोधित और उस दिन, जो नियम 7 के खण्ड (क) के अधीन नियत तारीख से 30 दिन पूर्व होगा, यथा-विद्यमान अधिनियम की धारा 31 के अधीन तैयार किया गया दन्त-चिकित्सकों के रजिस्टर का भाग-ख, निर्वाचक नामावली का गठन करेगा।

(3) अधिनियम की धारा 21 के खण्ड (घ) के अधीन निर्वाचनों के प्रयोजन के लिए, उस दिन, जो नियम 7 के खण्ड (क) के अधीन नियत तारीख से 30 दिन पूर्व होगा, राजस्थान चिकित्सा परिषद् के सदस्य, निर्वाचक नामावली का गठन करेंगे।

6. **रिटर्निंग अधिकारी.**-रजिस्ट्रार रिटर्निंग अधिकारी होगा।

7. **निर्वाचन के विभिन्न प्रक्रमों के लिए तारीखों का नियत किया जाना.**-रिटर्निंग अधिकारी निम्नलिखित के लिए तारीख, समय और स्थान, ऐसी अन्य रीति में, जो वह ठीक समझे, नियत करेगा और राजस्थान राज-पत्र में अधिसूचित करेगा:-

(क) नामनिर्देशन-पत्रों की प्राप्ति और उनकी संवीक्षा;

(ख) मतदाताओं को मतपत्रों का प्रेषण;

(ग) मतदान; और

(घ) मतों की संवीक्षा और गणना।

8. **अभ्यर्थियों का नामनिर्देशन.**-निर्वाचन के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी प्ररूप-क में नामनिर्देशन-पत्रों, जो उसके लिए आवेदन कर रहे किसी भी मतदाता को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निःशुल्क प्रदत्त किये जायेंगे, के माध्यम से नामनिर्दिष्ट किया जायेगा।

9. **नामनिर्देशन-पत्र.**-(1) प्रत्येक नामनिर्देशन-पत्र प्रस्थापक और समर्थक के रूप में दो मतदाताओं द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या अन्यथा भेजा जायेगा ताकि वह रिटर्निंग अधिकारी के पास उसके द्वारा नियत तारीख को या उससे पूर्व पहुंच जाये जो मतदान के लिए नियत तारीख से चार सप्ताह पूर्व से कम की नहीं होगी:

परन्तु कोई मतदाता भरे जाने वाले स्थानों से अधिक नामनिर्देशन-पत्रों पर हस्ताक्षर नहीं करेगा:

परन्तु यह और कि यदि विहित संख्या से अधिक नामनिर्देशन-पत्र एक ही मतदाता द्वारा हस्ताक्षरित किये जाते हैं तो रिटर्निंग अधिकारी द्वारा पहले प्राप्त किये गये नामनिर्देशन-पत्रों की विहित संख्या, यदि अन्यथा क्रम में है, विधिमान्य होगी और यदि एक ही मतदाता द्वारा हस्ताक्षरित

विहित संख्या से अधिक नामनिर्देशन-पत्र रिटर्निंग अधिकारी को एक ही समय पर प्राप्त होते हैं तो ऐसे सभी नामनिर्देशन-पत्र अविधिमान्य होंगे।

(2) प्रत्येक नामनिर्देशन-पत्र की प्राप्ति पर रिटर्निंग अधिकारी उस पर प्राप्ति की तारीख और समय तत्काल पृष्ठांकित करेगा।

10. नामनिर्देशन-पत्रों का नामंजूर किया जाना.-नामनिर्देशन-पत्र जो उस निमित्त नियत तारीख और समय से पूर्व रिटर्निंग अधिकारी को प्राप्त नहीं होते हैं नामंजूर किये जायेंगे।

11. अभ्यर्थियों द्वारा संदेय फीस.-(1) नामनिर्देशन पत्रों की प्राप्ति के लिए नियत तारीख को या उससे पूर्व, निर्वाचन के लिए खड़ा होने का इच्छुक प्रत्येक अभ्यर्थी नकद में या रजिस्ट्रार, राजस्थान राज्य दंत चिकित्सा परिषद्, जयपुर को संदेय मांगदेय ड्राफ्ट द्वारा एक हजार रुपये की फीस रिटर्निंग अधिकारी को संदत्त करेगा और कोई अभ्यर्थी सम्यक् रूप से नामनिर्दिष्टि नहीं समझा जायेगा जब तक कि ऐसी फीस संदत्त नहीं कर दी गयी हो।

(2) इस प्रकार संदत्त फीस परिषद् में जमा होगी और किसी भी परिस्थिति में प्रतिदेय नहीं होगी।

12. नामनिर्देशन-पत्रों की संवीक्षा.-(1) नामनिर्देशन-पत्रों की संवीक्षा के लिए रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नियत तारीख को और समय पर अभ्यर्थी और प्रत्येक अभ्यर्थी के प्रस्थापक और समर्थक रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में उपस्थित हो सकेंगे जो उन्हें उन समस्त अभ्यर्थियों के नामनिर्देशन-पत्रों का परीक्षण करना अनुज्ञात करेगा जो उसके द्वारा प्राप्त किये हैं।

(2) रिटर्निंग अधिकारी नामनिर्देशन-पत्रों का परीक्षण करेगा और उन समस्त प्रश्नों को विनिश्चित करेगा जो किसी नामनिर्देशन की विधिमान्यता के विषय में उठ सकते हैं और उन पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

13. अभ्यर्थिता का वापस लिया जाना.-कोई अभ्यर्थी मतदान के लिए नियत तारीख से पूर्व ठीक इक्कीस दिन के अपश्चात्, उसके द्वारा लिखित में हस्ताक्षरित और रिटर्निंग अधिकारी को परिदत्त नोटिस द्वारा

अपनी अभ्यर्थिता वापस ले सकेगा। कोई अभ्यर्थी जिसने अपनी अभ्यर्थिता वापस ली है, प्रत्याहरण को रद्द करने या उसी निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी के रूप में पुनः नामनिर्दिष्ट किये जाने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

14. मतदान.-(1) यदि अभ्यर्थियों की संख्या, जो सम्यक् रूप से नामनिर्दिष्ट हुए है, निर्वाचित किये जाने वाले सदस्यों की संख्या के समान है तो रिटर्निंग अधिकारी, अभ्यर्थिता के प्रत्याहरण के लिए समय के अवसान के पश्चात्, ऐसे अभ्यर्थी, यदि कोई हों, या समस्त ऐसे अभ्यर्थियों को सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित करेगा।

(2) यदि ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या निर्वाचित किये जाने वाले सदस्यों की संख्या से कम है तो रिटर्निंग अधिकारी अभ्यर्थिता के प्रत्याहरण के लिए समय के अवसान के पश्चात्, ऐसे अभ्यर्थी, यदि कोई हों, या समस्त ऐसे अभ्यर्थियों को सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित करेगा।

(3) यदि ऐसे अथ्यर्थियों की संख्या निर्वाचित किये जाने वाले सदस्यों की संख्या से अधिक है तो रिटर्निंग अधिकारी परिषद् के कार्यालय में नोटिस बोर्ड पर उनके नाम और पते तुरंत अधिसूचित करेगा और प्ररूप-ग में मत पत्रों में वर्णक्रम में उनके नाम प्रविष्ट करायेगा।

(4) यदि मतदान आवश्यक पाया जाता है तो रिटर्निंग अधिकारी, इसके लिए नियत तारीख से दो सप्ताह पूर्व, प्रत्येक निर्वाचक को, प्ररूप-घ में प्रज्ञापन के पत्र के साथ प्ररूप-ख में संख्यांकित घोषणा पत्र, वर्णक्रम में अभ्यर्थियों के नामों को अन्तर्विष्ट करते हुए और रिटर्निंग अधिकारी के आद्यक्षर या प्रतिकृति हस्ताक्षरयुक्त प्ररूप-ग में एक मत पत्र, उसे (रिटर्निंग अधिकारी) संबोधित मत पत्र लिफाफा और उसे संबोधित एक बाह्य लिफाफा भी रजिस्ट्रीकृत डाक से भेजेगा।

(5) कोई मतदाता, जिसे डाक द्वारा उसे भेजे गये मत और अन्य संबंधित पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं या जिससे वे खो गये हों या जिसके मामले में रिटर्निंग अधिकारी के पास उनके लौटने के पूर्व पत्र असावधानीवश नष्ट हो गये हैं, उसके द्वारा हस्ताक्षरित इस आशय की घोषणा भेज सकेगा और रिटर्निंग अधिकारी से नये पत्र भेजे जाने की अपेक्षा कर सकेगा और

यदि पत्र नष्ट हो गये हैं तो नष्ट पत्र रिटर्निंग अधिकारी को लौटा देगा जो प्राप्त होने पर उन्हें रद्द करेगा। प्रत्येक मामले में जब नये पत्र जारी किये जाते हैं, निर्वाचक नामावली में यह द्योत्तन के लिए कि नये पत्र जारी किये गये हैं, निर्वाचक के नाम से संबंधित संख्या के सामने एक चिह्न लगाया जायेगा।

(6) कोई निर्वाचन किसी मतदाता को उसके मतपत्र प्राप्त नहीं होने के कारण अविधिमान्य नहीं होगा किन्तु यह तब जबकि कोई मतपत्र इन नियमों के अनुसार उसे जारी किया गया हो।

15. मतों का रजिस्ट्रीकृत डाक से भेजा जाना.–अपने मत को अभिलिखित कराने का इच्छुक प्रत्येक मतदाता प्रज्ञापन के पत्र में दिये गये निदेशों के अनुसार घोषणा पत्र और मतपत्र भरने के पश्चात् मतपत्र आवरक में मतपत्र परिवेष्टित करेगा, आवरक को चिपकायेगा, रिटर्निंग अधिकारी को संबोधित बाह्य लिफाफें में आवरक और घोषणा पत्र परिवेष्टित करेगा और मतदाता के स्वयं के खर्चे पर रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा बाह्य लिफाफे को रिटर्निंग अधिकारी को भेजेगा ताकि मतदान के लिए नियत तारीख को सायं 5 बजे के अपश्चात् उस तक पहुंच जाये। उस दिन या समय के पश्चात् प्राप्त हुए या अरजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा प्राप्त सभी लिफाफे नामंजूर किये जायेंगे।

16. रजिस्ट्रीकृत आवरकों पर रिटर्निंग अधिकारी द्वारा पृष्ठांकन.–घोषणा पत्रों और मतपत्रों से युक्त बन्द आवरकों के रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा लिफाफों की प्राप्ति पर रिटर्निंग अधिकारी बाह्य लिफाफे पर प्राप्ति की तारीख और समय पृष्ठांकित करेगा।

17. रजिस्ट्रीकृत आवरक को खोलने की रीति.–रिटर्निंग अधिकारी मतदान के नियत दिन को सायं 5 बजे के तुरन्त पश्चात् उस स्थान, जिस पर उसे लिफाफे सम्बोधित किये गये हैं, बाह्य लिफाफे खोलेगा। उस समय बाह्य लिफाफे जब खोले जायें कोई अभ्यर्थी व्यक्तिशः उपस्थित हो सकेगा या लिखित में उसके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी प्रतिनिधि को उपस्थित होने के लिए भेज सकेगा।

18. मत पत्रों का नामंजूर किया जाना.–रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मतपत्र आवरक नामंजूर किये जायेंगे, यदि–

(क) बाह्य लिफाफे में मतपत्र आवरक के बाहर कोई घोषणा पत्र अन्तर्विष्ट नहीं है; या

(ख) घोषणा पत्र वह नहीं है जो रिटर्निंग अधिकारी द्वारा भेजा गया था; या

(ग) घोषणा पत्र मतदाता द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है; या

(घ) मतपत्र, मतपत्र आवरक के बाहर रखा गया है; या

(ङ) एक से अधिक घोषणा पत्र या मतपत्र आवरक एक ही बाह्य लिफाफे में परिवेष्टित किये गये हैं।

नामंजूरी के प्रत्येक मामले में, मतपत्र आवरक और घोषणा पत्र पर शब्द "नामंजूर" पृष्ठांकित किया जायेगा।

(2) स्वयं का समाधान होने के पश्चात् कि मतदाताओं ने घोषणा पत्रों में अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं, रिटर्निंग अधिकारी नियम 21 के अधीन सभी घोषणा पत्रों को निपटारे तक सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा।

19. मतों की संवीक्षा और गणना.–(1) रिटर्निंग अधिकारी मतों की संवीक्षा और गणना के प्रयोजन के लिए, इस निमित्त उसके द्वारा नियत तारीख और समय और स्थान पर उपस्थित होगा परन्तु इस प्रकार नियत तारीख मतदान के लिए नियत तारीख से तीन दिन से अपश्चात् नहीं होगी।

(2) सभी मतपत्र आवरक, नियम 18 के अधीन नामंजूर से भिन्न, खोले जायेंगे और मतपत्रों को बाहर निकाला और साथ–साथ मिलाया जायेगा। मतपत्रों की तब संवीक्षा की जायेगी और विधिमान्य मतों की गणना की जायेगी।

(3) काई मतपत्र अविधिमान्य होगा, यदि–

(क) उस पर रिटर्निंग अधिकारी के आद्यक्षर नहीं है;

(ख) कोई मतदाता उस पर अपने नाम के हस्ताक्षर करता है या कोई शब्द लिखता है या चिह्न बनाता है जिससे वह उसके मतपत्र के

रूप में पहचाने जाने योग्य हो जाता है; या

(ग) उस पर कोई मत अभिलिखित नहीं किया जाता है ; या

(घ) उस पर अभिलिखित मतों की संख्या, भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या से अधिक है; या

(ङ) एक या अधिक प्रयुक्त मतों की अनिश्चितता के कारण वह शून्य है:

परन्तु वहां एक ही मतपत्र पर एक से अधिक मत दिये जा सकते हों वहां यदि चिह्नों में से कोई एक इस प्रकार लगाया गया है जो उसे सन्देहास्पद बनाता है कि संबंधित मत किस अभ्यर्थी के लिए आशयित है, किन्तु इस आधार पर सम्पूर्ण मतपत्र अविधिमान्य नहीं होगा।

(4) गणना की प्रक्रिया को देखने के लिए कोई अभ्यर्थी व्यक्तिशः उपस्थित हो सकेगा या उसके द्वारा लिखित में सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि को भेज सकेगा।

(5) रिटर्निंग अधिकारी मतों की संवीक्षा और गणना के समय अभ्यर्थी या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को मतपत्र दिखायेगा यदि ऐसा करने के लिए अनुरोध किया जाता है।

(6) यदि किसी मतपत्र के लिए इस आधार पर कि वे किन्हीं विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं कर रहा है या किसी मतपत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा किसी नामंजूरी के लिए कोई आपत्ति की जाती है तो यह तुरन्त रिटर्निंग अधिकारी द्वारा विनिश्चित किया जायेगा जिसका विनिश्चय अंतिम होगा।

(7) रिटर्निंग अधिकारी चार से अनधिक, जो वह ठीक समझे, ऐसी संख्या में संवीक्षकों को नामनिर्देशित करेगा। अधिनियम के अधीन पहली बार आयोजित होने वाले निर्वाचन के मामले में, संवीक्षक राज्य सरकार के राजपत्रित अधिकारी होंगे और अन्य निर्वाचनों के मामले में परिषद् के सदस्य।

20. परिणामों की घोषणा.—(1) जब मतों की गणना पूर्ण हो जाये तब रिटर्निंग अधिकारी अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों की तुरन्त घोषणा करेगा जिन्हें भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या के अनुसार सम्यक् रूप से

निर्वाचित होने के लिए अधिकतम संख्या में विधिमान्य मत दिये गये हैं और प्रत्येक सफल अभ्यर्थी को परिषद् के लिए उसके निर्वाचित होने की पत्र द्वारा तुरंत सूचना देगा।

(2) यदि किन्हीं दो या अधिक अभ्यर्थियों के बीच मतों की समानता है तो रिटर्निंग अधिकारी संबंधित अभ्यर्थियों को नोटिस देने के पश्चात्, लॉट द्वारा विनिश्चय करेगा कि कौनसा अभ्यर्थी या कौनसे अभ्यर्थियों के निर्वाचित होने की वह घोषणा करेगा।

21. मतपत्रों का रखना.—रिटर्निंग अधिकारी मतपत्रों की गणना की समाप्ति पर और उसके द्वारा परिणाम की घोषणा के पश्चात्, छह मास के लिए रखे गये मतपत्रों और निर्वाचन संबंधी समस्त अन्य दस्तावेजों को सील करेगा और उन्हें छह मास की कालावधि के लिए रखेगा और परिषद्, राज्य सरकार की पूर्व सहमति के बिना, छह मास पश्चात् भी अभिलेखों को नष्ट नहीं करेगी या करवायेगी।

22. परिणामों का प्रकाशन.—(1) रिटर्निंग अधिकारी, परिषद् के प्रथम निर्वाचन के मामले में राजस्थान राज-पत्र में निर्वाचन का परिणाम और तारीख प्रकाशित करवायेगा और सरकार को निर्वाचन के बारे में एक रिपोर्ट भी भेजेगा।

(2) अधिनियम के अधीन पहली बार आयोजित कराये गये निर्वाचन से भिन्न के मामले में, रिटर्निंग अधिकारी सभापति को निर्वाचन के परिणाम और तारीख से सूचित करेगा जो तब उसे राजस्थान राज-पत्र में प्रकाशित करायेगा। रिटर्निंग अधिकारी निर्वाचन के बारे में सरकार को भी रिपोर्ट भेजेगा।

23. सामान्य.—(1) राज्य सरकार स्वप्रेरणा से या किसी अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों से इस निमित्त लिखित में प्राप्त किसी आक्षेप पर, सम्पूर्ण निर्वाचन या उसके किसी भाग को किसी भ्रष्ट आचरण के कारण या किसी अन्य पर्याप्त कारण से शून्य घोषित कर सकेगी और सम्पूर्ण या उसके किसी भाग के लिए, जैसी स्थिति की मांग हो, नये निर्वाचन कराने के लिए निर्वाचक मण्डल को बुला सकेगी। इस नियम के अधीन सरकार का विनिश्चिय अंतिम होगा।

(2) इन नियमों के आशय, अर्थान्वयन या लागू होने के बारे में किसी भी प्रश्न, जो उठ सकता है पर राज्य सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।

24. धारा 21 (घ) के अधीन निर्वाचन.–(1) धारा 21 के खण्ड (घ) के अधीन राज्य की चिकित्सा परिषद् द्वारा किसी सदस्य के निर्वाचन के लिए रिटर्निंग अधिकारी से अध्यपेक्षा प्राप्त होने पर, निर्वाचन इसमें इसके पश्चात् आये उपबंधों के अनुसार चिकित्सा परिषद् की बैठक में संचालित किये जायेंगे।

(2) निर्वाचन मतों द्वारा होंगे जो हाथ उठा कर या विभाजन द्वारा या मत द्वारा किया जायेगा जैसा राज्य चिकित्सा परिषद् का सभापति निदेश करे :

परन्तु यह कि मत मतपत्रों द्वारा लिये जायेंगे यदि तीन॰ सदस्य ऐसी इच्छा व्यक्त करें और इसके लिए कहें :

परन्तु यह और कि यदि मतदान हाथ उठा कर किया जाता है तो विभाजन किया जायेगा यदि कोई सदस्य इसके लिए कहे।

(3) चिकित्सा परिषद् का सभापति विभाजन द्वारा मत लेने की रीति अवधारित करेगा।

(4) मतों का परिणाम राज्य चिकित्सा परिषद् के सभापति द्वारा घोषित किया जायेगा।

(5) मतों की समानता की दशा में राज्य चिकित्सा परिषद् के सभापति का निर्णायक मत होगा।

अध्याय–3

सभापति और उप–सभापति

25. सभापति और उप–सभापति का निर्वाचन.–परिषद् के सभापति और उप–सभापति परिषद् की बैठक में निर्वाचित किये जायेंगे। सदस्य कामकाज का संचालन करने के लिए पहले अध्यक्ष को निर्वाचित करेंगे जो तब सदस्यों में से सभापति और उप–सभापति के पद के लिए नामांकन मांगेगा। अध्यक्ष गुप्त मतदान द्वारा निर्वाचन आयोजित करेगा। किसी भी मामले में अनिर्णय की दशा में, अंतिम निर्वाचन लॉट द्वारा विनिश्चित किया

जायेगा। सभापति का निर्वाचन पहले आयोजित किया जायेगा और उसके पश्चात् उप–सभापति का।

26. सभापति और उप–सभापति की शक्तियां और कर्तव्य.–(1) सभापति ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो अधिनियम और तदधीन बने नियमों के उपबंधों में अन्तर्विष्ट हैं। वह उन उद्देश्यों, जिनके लिए परिषद् की स्थापना हुई है, को अग्रसर करने के लिए ऐसे कार्य करेगा जो वह आवश्यक समझे।

(2) यदि सभापति का पद रिक्त हैं या यदि सभापति किसी कारण से अपने पद की शक्तियों का प्रयोग या कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है तो उप–सभापति उसके स्थान पर कार्य करेगा और सभापति की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करेगा।

(3) सभापति और उप–सभापति की पदावधि वह होगी जो अधिनियम की धारा 25 में दी गयी है।

अध्याय–4

परिषद् की बैठक

27. परिषद् की बैठकों का समय और स्थान और उसके लिए कामकाज की तैयारी.–(1) परिषद् कलैण्डर वर्ष में साधारणतया दो बार फरवरी और सितम्बर मास में बैठक करेगी :

परन्तु :–

(i) सभापति, परिषद् के ध्यान की अपेक्षा करने वाले किसी अत्यावश्यक मामले पर चर्चा करने के लिए किसी भी समय 15 दिन के नोटिस पर विशेष बैठक बुला सकेगा।

(ii) सभापति 15 दिन के नोटिस पर विशेष बैठक बुलायेगा यदि उसे कुल सदस्यता के कम से कम एक तिहाई द्वारा लिखित रूप में अध्यपेक्षा प्राप्त होती है और जिसमें ऐसे प्रयोजनों का कथन है जिसके लिए वे बैठक बुलाये जाने के इच्छुक हैं, ऐसा प्रयोजन नियम 27 के उप–नियम (6) के खण्ड (क) की मद (ii) के प्रथम परन्तुक में उल्लिखित से भिन्न हो और परिषद् के कृत्यों की परिधि के भीतर का कोई प्रयोजन हो।

(2) किसी कलैण्डर वर्ष में आयोजित परिषद् की प्रथम बैठक उस वर्ष के लिए कौंसिल की वार्षिक बैठक होगी।

(3) नियम 27 के उप–नियम (1) के परन्तुक में निर्दिष्ट बैठक में विचार के लिए केवल उन विषय या विषयों पर ही चर्चा की जायेगी जिनके लिए बैठक बुलाई गयी है।

(4) नियम 27 के उप–नियम (1) के परन्तुक के अधीन या नियम, 27 के उप–नियम (6) के मद (ii) के प्रथम परन्तुक के अधीन बुलाई गयी विशेष बैठक से भिन्न प्रत्येक बैठक के नोटिस, बैठक की तारीख से कम से कम 30 दिन पूर्व, रजिस्ट्रार द्वारा परिषद् के प्रत्येक सदस्य को प्रेषित किये जायेंगे।

(5) (क) रजिस्ट्रार बैठक के नोटिस के साथ बैठक के समक्ष लाये जाने वाले कामकाज, प्रस्तावित किये जाने वाले उन सभी प्रस्तावों के निबंधन जिनके लिखित में नोटिस पूर्व में ही उसके पास पंहुच चुके हैं और प्रस्तावकों के नाम दर्शित करते हुए प्रारम्भिक कार्यसूची पत्र जारी करेगा।

(ख) कोई सदस्य जो प्रारम्भिक कार्यसूची पत्र में सम्मिलित नहीं किये गये किसी प्रस्ताव को प्रस्तावित करना या इस प्रकार सम्मिलित किये गये किसी मद में कोई संशोधन चाहता है तो बैठक के लिए नियत तारीख से कम से कम ठीक 21 दिन पूर्व रजिस्ट्रार को उसका नोटिस देगा।

(ग) रजिस्ट्रार बैठक के लिए नियत तारीख से कम से कम ठीक 15 दिन पूर्व और विशेष बैठक के मामले में बैठक के नोटिस के साथ, बैठक के समक्ष लाये जाने वाले कामकाज को दर्शित करते हुए पूर्ण कार्यसूची पत्र जारी करेगा।

(घ) कोई सदस्य जो पूर्ण कार्यसूची पत्र में सम्मिलित किये गये किन्तु प्रारम्भिक कार्यसूची पत्र में सम्मिलित नहीं किये गये किसी मद में संशोधन का प्रस्ताव लाना चाहता है तो बैठक के लिए नियत तारीख से कम से कम ठीक 7 दिन पूर्व रजिस्ट्रार को उसका नोटिस देगा।

(ङ) रजिस्ट्रार, यदि समय अनुज्ञात करे, उन सभी संशोधनों की सूची जिनके लिए उप–नियम 5 के खण्ड (घ) के अधीन नोटिस दिया गया है, प्रत्येक सदस्य के उपयोग के लिए उपलब्ध करायेगा :

परन्तु सभापति, यदि परिषद् सहमत हो तो इस तथ्य के होते हुए भी कि नोटिस इस नियम कि अनुपालना में सम्मिलित होने के लिए बहुत विलम्ब से प्राप्त हुआ, बैठक में किसी प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया जाना अनुज्ञात कर सकेगा :

परन्तु यह भी कि इस नियम की कोई बात ठीक पश्चात्वर्ती बैठक में परिषद् को किसी मामले के कार्यकारी समिति द्वारा निर्देश से या कार्यकारी समिति की बैठक के तुरन्त पश्चात् इस नियम के अधीन अपेक्षित नोटिस अनुज्ञात करने से नहीं रोकेगी।

(6) (क) कोई प्रस्ताव ग्राह्य नहीं होगा–

(i) यदि मामला जिससे वह संबंधित है, परिषद् के कृत्यों की परिधि के भीतर नहीं आता है;

(ii) यदि वह किसी प्रस्ताव या संशोधन के रूप में सारतः वही प्रश्न उठाता है जिसे बैठक, जिसमें इसे प्रस्तावित किया जाना परिकल्पित है की तारीख से एक वर्ष के भीतर प्रस्तावित किया गया है या परिषद् की इजाजत से वापस लिया गया है :

परन्तु ऐसा प्रस्ताव परिषद् के दो तिहाई से अन्यून सदस्यों की अध्यपेक्षा पर उस प्रयोजन के लिए बुलायी गयी परिषद् की विशेष बैठक में स्वीकार किया जा सकेगा :

परन्तु यह और कि इन नियमों की कोई बात अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा उसके किन्हीं कृत्यों के प्रयोग में परिषद् को निर्दिष्ट किसी मामले पर आगे विचार–विमर्श करने से प्रतिषिद्ध नहीं करेगी।

(iii) जब तक कि वह स्पष्ट तौर पर और प्रमिततः अभिव्यक्त न हो और सारतः एक निश्चित विवाद्यक नहीं उठाता हो।

(iv) यदि उसमें अनुमान, अपमानजनक कथनों की व्यंग्यात्मक अभिव्यक्तियां अन्तर्विष्ट हो।

(ख) सभापति किसी प्रस्ताव को अननुज्ञात करेगा जो उसकी राय में, उप–नियम (6) (क) के अधीन ग्रहण करने योग्य नहीं है :

परन्तु यदि कोई प्रस्ताव संशोधन द्वारा ग्राह्य बनाया जा सकता है तो सभापति प्रस्ताव को अननुज्ञात करने के स्थान पर उसे संशोधित रूप में स्वीकार करेगा।

(ग) जब सभापति किसी प्रस्ताव को अननुज्ञात या संशोधित करता है तब रजिस्ट्रार उस सदस्य को, जिसने प्रस्ताव का नोटिस दिया था अननुज्ञात करने के आदेश से या, यथास्थिति, उस रूप जिसमें प्रस्ताव स्वीकार किया गया है, से सूचित करेगा।

28. बैठक का अध्यक्ष.–(1) परिषद् की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता सभापति द्वारा की जायेगी या यदि वह अनुपस्थित है तो उप सभापति द्वारा या यदि सभापति और उप–सभापति दोनों अनुपस्थित हैं तो उपस्थित सदस्यों द्वारा उनमें से निर्वाचित होने वाले अध्यक्ष द्वारा।

(2) इस भाग में सभापति के सभी निर्देश तत्समय बैठक की अध्यक्षता कर रहे व्यक्ति के निर्देश के रूप में पढ़े जायेंगे।

(3) परिषद् के सात सदस्यों की व्यक्तिशः उपस्थिति गणपूर्ति गठित करेगी परन्तु गणपूर्ति के अभाव में स्थगित बैठक की दशा में, कोई गणपूर्ति अपेक्षित नहीं होगी।

29. बैठक की गणपूर्ति.–यदि बैठक के लिए नियत समय पर गणपूर्ति नहीं होती है तो बैठक तब तक प्रारंभ नहीं होगी जब तक गणपूर्ति न हो जाये, और यदि बैठक के लिए नियत समय से बीस मिनट की समाप्ति तक या किसी बैठक के अनुक्रम के दौरान, गणपूर्ति नहीं होती है तो बैठक ऐसे भविष्यवर्ती समय और तारीख के लिए स्थगित कर दी जायेगी जो सभापति नियत करे।

30. परिषद् द्वारा किसी मामले का अवधारण.–(1) परिषद् द्वारा अवधारित किये जाने वाला प्रत्येक मामला किसी सदस्य द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव पर अवधारित किया जायेगा और सभापति द्वारा परिषद् के समक्ष रखा जायेगा।

(2) मत, हाथ उठाकर या विभाजन द्वारा या मतदान द्वारा, जैसा सभापति निदेश करे, लिए जायेंगे :

परन्तु मत मतदान द्वारा लिए जायेंगे यदि तीन सदस्य ऐसी इच्छा व्यक्त करें और इसके लिए कहें :

परन्तु यह और कि यदि मतदान हाथ उठाकर किया जाता है तो यदि कोई सदस्य इसके लिए कहे तो विभाजन किया जायेगा।

(3) सभापति विभाजन द्वारा मत लिए जाने की रीति अवधारित करेगा।

(4) मत का परिणाम सभापति द्वारा घोषित किया जायेगा और आक्षेपित नहीं किया जायेगा।

(5) मतों की समानता की दशा में सभापति का निर्णायक मत होगा।

31. प्रस्ताव के संचलन के संबंध में सभापति की शक्ति.–(1) जब समान प्रस्ताव दो या अधिक सदस्यों के नाम से जारी आता है तो सभापति विनिश्चित् करेगा कि किसका प्रस्ताव प्रस्तावित किया जाये और अन्य प्रस्ताव या प्रस्तावों को तब वापस लिया हुआ समझा जायेगा।

(2) प्रत्येक प्रस्ताव या संशोधन समर्थित किया जायेगा और यदि समर्थित नहीं किया जाता है तो वापस लिया हुआ समझा जायेगा।

(3) जब किसी प्रस्ताव को समर्थित किया जाता है तो वह सभापति द्वारा पढ़ा जायेगा।

(4) जब कोई प्रस्ताव इस प्रकार पढ़ा गया है तब या तो सकारात्मक या नकारात्मक रूप से प्रस्तावित किये जाने वाले प्रश्न के रूप में इस पर विचार–विमर्श किया जा सकेगा या कोई सदस्य, नियम 32 (1) और 32 (4) के अध्यधीन रहते हुए, प्रस्ताव का संशोधन प्रस्तावित कर सकेगा :

परन्तु सभापति ऐसा कोई संशोधन प्रस्तावित किया जाना अनुज्ञात नहीं करेगा जो यदि सारभूत प्रस्ताव होता तो नियम 27 (6) के अधीन अग्राह्य हो जाता।